उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1
संख्या-1/2017/72/22-1-2017-91/2016
लखनऊ : दिनांक 16 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में वर्चुअल आई0टी0 कैडर की स्थापना के संबंध में मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेट्रानिक्स अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1733/78-2-2016-143आई0टी0/2014, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 एवं पत्र संख्या-5037/78-2-2016-143आई0टी0/2014, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के क्रम में जन सामान्य को विभिन्न शासकीय सेवायें त्वरित, पारदर्शी तथा कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न ई-गवर्नेन्स योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग उ0प्र0 शासन के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्चुअल आई0टी0 कैडर में नामित किया जाता है:-

1- श्री एस0 के0 सिंह, विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- श्री सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर, संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- उक्त अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से आई0टी0 एवं इलेट्रानिक्स अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 21-09-2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार उनके मूल वेतन एवं ग्रेड-पे (टी0ए0/डी0ए0 या अन्य कोई भत्ता छोडकर) का 10 प्रतिशत् प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा। प्रोत्साहन भत्ता उक्त अधिकारियों को जिस लेखा शीर्षक वेतन/भत्ते प्रदान किये जाते है, उसी लेखा शीर्षक के मानक मद 06-अन्य भत्ते से यह 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

संख्या-1/72(1)/22-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- नियुक्ति अनुभाग-1
4- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1
5- इरला चेक।
6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य समन्वयक सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
10- निजी सचिव, विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0शासन।
11- संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द खरे)
अनु सचिव।

office memo-B-c-1-m

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in